



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1087/2026/370/22-2-2026-17(31)/2026
लखनऊ : दिनांक: 19 अगस्त, 2026
आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(घ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत महिला दिवस (08 मार्च, 2026) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामपाल कोरी (बन्दी संख्या-307/2019) पुत्र स्व० गंगा कोरी, मोहल्ला चार थोक कस्बा, थाना-मुस्करा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-43/1990 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 30.09.1991 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2014 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2026 तक अपरिहार 12 वर्ष 01 माह 02 दिन एवं सपरिहार 14 वर्ष 20 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1087/2026/370(1)/22-2-2026 तद्विनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
- 3- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री/ मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।